न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/29/17	03–08–2017	20–02–2018

1–रामवतार पुत्र भूदर जाति अहीर निवासी ग्राम भूदर की ढाणी तन रघुनाथपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1–गिर्राज पुत्र मातादीन जाति ब्राह्मण
2–नरेश पुत्र मातादीन जाति ब्राह्मण
3–सुरेश पुत्र मातादीन जाति ब्राह्मण
4–सुभाष पुत्र मातादीन जाति ब्राह्मण

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील प्रार्थी

02. श्री अशोक कुमार मुदगल –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन प्राथर्नापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण बअनुवानी रामावतार बनाम गिरराज को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में रामावतार बनाम गिरराज प्राथर्नापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन है। उक्त प्राथर्ना पत्र में प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.08.2017 को बहस की गई तथा अप्रार्थी की बहस हेतु आगामी दिनांक 04.08.2017 नियत की गई, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठकर बात करते देखा गया, उसी दिन अप्रार्थीगण द्वारा गांव में आकर ऐलानिया कहा गया की एस.डी.ओ. साहब से बात कर ली है, अगली तारीख पर तुम्हारा स्टे खारीज कराकर अपने हक में निर्णय करा लेगें। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है की एस0डी0ओ0 साहब अप्रार्थीगण के अनुचित प्रभाव में आकर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय करगें। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय अप्रार्थीगण के पक्ष में कर दिया तो मिन प्रार्थीगण को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी। इसलिऐ उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावें।

20.2.18

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की एस0डी0ओ0 साहब से कोई बातचीत नही हुई है। समस्त तथ्य मनगढंत, बनावटी है। प्रार्थना पत्र बिना किसी युक्तियुक्त कारण के महज प्रकरण लम्बित करने के लिए पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित आक्षेप कल्पित रूप दर्ज किये है, जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना

पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में आर.आर.डी. अगस्त 2003, आर.आर.डी. मई 2003 आर.आर.डी., 04.06.2012 व आर.आर.डी. 14.09.2012 पेश की गई है।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी बानसूर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि "प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद, मनगढंत एवं गलत है। प्रार्थी अपना वाद दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कराना चाहाता है। यदि यह प्रकरण दीगर न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।" प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बानसूर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20–02–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.2.18

(बी.एल.रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)